(3)

(66)

न्यायालय समक्ष - माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

==========

निगरानी क्र0- R 2590 - III/14 सन्-2014

जगदीश प्रसाद कुर्मी तनयश्री गुलजारी लाल कुर्मी

निवासी ग्राम गढी तहसील नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0 .. निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमती बसंती बाई

निवासी लाल कडक्का मंदिर के पास छतरपुर

तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0 .. ..अनावेदिका

यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर द्वारा प्र0क्र0-189/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक-05.06.2014 से असंतुष्ट होकर म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

==========

14-8-14

मान्यवर,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है कि :-

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि ख0न0- 206 लगायत 212 किता-7 रकबा-1.271 हे0 स्थित ग्राम मौराहा तहसील व जिला छतरपुर राजस्व अभिलेख में निगरानीकर्ता के भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है, चली आई है, उक्त भूमियां बंदोबस्त वर्ष 1938-39 में बाबादीन दयाल के स्वामित्व व आधिपत्य पर दर्ज थी तथा उक्त बाबादीन दयाल उक्त भूमि के मालिक व कब्जेदार रहे, तदोपरांत प्र0क्र0 - 160/अ-6/1965=66 में तहसीलदार छतरपुर के आदेश दिनांक 14.05.66 से उक्त भूमि बैजनाथ कुर्मी के नाम दर्ज की

14/8/14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2590-तीन/2014 जिला छतरपुर जगदीश विरूद्ध **बसंती** बाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 189/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 05-06-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 14-08-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

27.12.18

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

27.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य